कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 96/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 11.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज **दिनांक- 11.03.2026** को **थाना कंधरापुर पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम** द्वारा **जीएसटी चोरी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र राजहरन को मोतिहारी बिहार से 02 लाख रूपये नगद व कूटरचित दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया गया।**

प्रेस नोट, दिनांक – 11.03.2026
थाना – कंधरापुर, जनपद – आजमगढ़

जीएसटी चोरी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र राजहरन को मोतिहारी बिहार से गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकरण में पूर्व में 03 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से ₹02 लाख नकद व कूटरचित दस्तावेज बरामद किया गया

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण–

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार **गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) की चोरी करने वाले फर्मों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान** चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक **03.09.2025** को **श्री अविनाश चन्द्र राय, सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्यकर सचल दल, आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी** द्वारा **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जनपद आजमगढ़** के निकट वाहनों की चेकिंग में यह पाया गया कि क्रेता/विक्रेता द्वारा **अस्तित्वहीन/बोगस फर्मों के नाम पर कूटरचित इनवॉयस एवं ई-वे बिल जारी कर Old Iron Scrap का अवैध परिवहन** किया जा रहा था। विस्तृत जांच में यह भी प्रकाश में आया कि विक्रेता फर्म **विद्या ट्रेडर्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)** तथा क्रेता फर्म **अविराज ट्रेडिंग, शिमला (हिमाचल प्रदेश)** सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा **फर्जी जीएसटी पंजीकरण एवं सरकारी प्रपत्रों का दुरुपयोग कर संगठित रूप से कर अपवंचन करते हुए राजस्व को हानि पहुँचाने का प्रयास** किया जा रहा था। उक्त प्रकरण के संबंध में **थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 285/25 धारा 3(5),318(4),111,336(3),338,339,340(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना **व0उ0नि0 रमेश कुमार** द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार का विवरण:-

विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त **राजेश कुमार पुत्र राजहरन राय निवासी वार्ड नं0 2 झिटकहिया थाना आदापुर, जनपद पूर्वी चम्पारण (बिहार), उम्र लगभग 46 वर्ष** की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही की गई। इसी क्रम में दिनांक **10.03.2026** को विवेचक व0उ0नि0 **रमेश कुमार** द्वारा साइबर सेल जनपद आजमगढ़ के **मुख्य आरक्षी ओमप्रकाश जायसवाल व आरक्षी राहुल कुमार सिंह** के सहयोग से अभियुक्त को **माँ अम्बे स्क्रेप मार्ट, अवधेश चौक, मोतीहारी (बिहार)** से गिरफ्तार किया गया। मौके पर मौजूद एक अन्य अभियुक्त **मधुसूदन जायसवाल पुत्र स्व0 राजेश्वर प्रसाद निवासी अवधेश चौक मोतीहारी, थाना नगर जनपद पूर्वी चम्पारण (बिहार)** भीड़-भाड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। तलाशी के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से **टैक्स इनवॉयस से संबंधित रजिस्टर एवं 02 लाख रूपये नकद धनराशि** बरामद हुई। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ महोदय द्वारा इस प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली **विवेचना टीम, साइबर सेल टीम एवं सहयोगी पुलिसकर्मियों** को प्रोत्साहित करने हेतु **₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) के पुरस्कार** से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है।

बरामदगी–

- टैक्स इनवॉयस रजिस्टर (माँ अम्बे स्क्रेप मार्ट)
- ₹500-₹500 के नोटों की 04 गड्डियाँ (कुल ₹02,00,000)
- 01 अदद मोबाइल फोन (ओप्पो, काला रंग)
- 01 अदद रजिस्टर
- 70 अदद टैक्स इनवॉयस

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

01. राजेश कुमार पुत्र राजहरन राय, निवासी – वार्ड नं0 2 झिटकहिया, थाना आदापुर, जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार, उम्र 46 वर्ष।

पूर्व में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण-

01. वेदवीर पुत्र सेवक राम, निवासी ग्राम महमदपुर अमिलईया, थाना जहानागंज, जिला फर्रुखाबाद, उम्र लगभग 33 वर्ष

2. विजय कुमार यादव पुत्र बहादुर यादव, निवासी ग्राम तकिया गोपालपुर, थाना नवीन मॉडर्न, जनपद श्रावस्ती (उम्र लगभग 55 वर्ष)

3. अविराज शर्मा पुत्र विमलेश शर्मा, निवासी बी-152C प्रगति बिहार, चौधरी चट्टी के पास, कल्याणपुर विकास नगर, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ कमिश्नरेट (उम्र लगभग 21 वर्ष)

फरार अभियुक्त का विवरण:-

01. मधुसूदन जायसवाल पुत्र स्व0 राजेश्वर प्रसाद निवासी अवधेश चौक मोतीहारी, थाना नगर जनपद पूर्वी चम्पारण (बिहार)

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0 285/25 धारा 3(5),318(4),111,336(3),338,339,340(2)BNS बीएनएस थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. व0उ0नि0 रमेश कुमार, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
2. हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल, साइबर थाना आजमगढ़
3. का0 राहुल सिंह, साइबर थाना आजमगढ़
4. हे0का0 गोरखनाथ यादव, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
5. का0 विनय कुमार यादव, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

उत्तर प्रदेश पुलिस